

**भारत सरकार**  
**मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय**  
**पशुपालन और डेयरी विभाग**  
**लोकसभा**  
**अतारांकित प्रश्न संख्या- 286**  
**दिनांक 22 जुलाई, 2025 के लिए प्रश्न**

**आवारा कुत्ते**

**286. डॉ. बच्छाव शोभा दिनेश:**

क्या मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राहगीरों के लिए खतरा पैदा करने वाले आवारा कुत्तों की समस्या को खत्म करने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है;

(ख) 2021 में दिल्ली उच्च न्यायालय के एक फैसले के अनुसार, प्रत्येक आवासीय कल्याण संघ (आरडब्ल्यूए) या नगर निगम में एक पशु कल्याण समिति सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का उच्च न्यायालय के दिशानिर्देशों का पालन नहीं करने पर आरडब्ल्यूए को दंडित करने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार का आवारा कुत्तों की जनगणना कराने या नगर पालिकाओं को जनगणना कराने का आदेश देने का कोई प्रस्ताव है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) गत एक वर्ष के दौरान देश में आवारा कुत्तों द्वारा काटने की कितनी घटनाएं रिपोर्ट की गईं और कितने लोग घायल हुए और कितने लोगों की मृत्यु हुई;

(च) क्या सरकार ने आवारा कुत्तों के टीकाकरण के लिए कोई धनराशि आवंटित की है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**उत्तर**  
**मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी राज्य मंत्री**  
**(प्रो. एस.पी. सिंह बघेल)**

(क) अनुच्छेद 243(ब) के अनुसार, नगर पालिकाओं को आवारा कुत्तों की आबादी को नियंत्रित करने का अधिदेश प्राप्त है। तदनुसार, नगर पालिकाएं आवारा कुत्तों की आबादी को विनियमित करने के लिए पशु जन्म नियंत्रण कार्यक्रम लागू कर रही हैं। प्रभावी कुत्तों की आबादी के प्रबंधन का समर्थन करने के लिए, केंद्र सरकार ने पूर्व के एबीसी (कुत्ता) नियम, 2001 का अधिक्रमण करते हुए दिनांक 10 मार्च 2023 को जीएसआर 193(ई) के माध्यम से पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण अधिनियम, 1960 के तहत पशु जन्म नियंत्रण (ABC) नियम, 2023 अधिसूचित किए हैं। ये नियम जनसंख्या स्थिरीकरण के साधन के रूप में आवारा कुत्तों की नसबंदी और एंटी-रेबीज टीकाकरण पर केंद्रित हैं।

इसके अलावा, भारत सरकार के पशुपालन और डेयरी विभाग (DAHD) ने दिनांक 11.11.2024 को राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र के मुख्य सचिवों/प्रशासकों को एक परामर्शी जारी की, जिसमें स्थानीय निकायों के माध्यम से एबीसी कार्यक्रम और संबंधित कार्यकलापों के कार्यान्वयन का आग्रह किया गया। इसका उद्देश्य बच्चों, विशेषकर छोटे बच्चों, की आवारा कुत्तों के हमलों से सुरक्षा सुनिश्चित करना था।

इसके अतिरिक्त, भारतीय जीव जंतु कल्याण बोर्ड (AWBI) ने आवारा कुत्तों से संबंधित मुद्दों के समाधान के लिए कई परामर्शी और दिशानिर्देश जारी किए हैं, जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं:

- आवारा कुत्तों की आबादी के प्रबंधन, रेबीज उन्मूलन और मानव-कुत्ते संघर्ष को कम करने के लिए संशोधित पशु जन्म नियंत्रण मॉड्यूल;
- पालतू कुत्तों और आवारा कुत्तों संबंधी परिपत्र दिनांक 26.02.2015;
- आवारा पशुओं के बचाव और पुनर्वास के लिए परामर्शी दिनांक 12.07.2018 और 27.02.2020;
- एबीसी कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए परामर्शी दिनांक 17.12.2021;
- सामुदायिक स्तर पर पशु गोद लेने के लिए मानक प्रोटोकॉल को लागू करने और परिचालित करने का अनुरोध दिनांक 17.05.2022;
- थूथन के उपयोग और सामुदायिक कुत्तों की देखभाल संबंधी दिशानिर्देश दिनांक 17.08.2022; और
- दिनांक 01.10.2024 का पत्र जिसमें मान्यता प्राप्त पशु कल्याण संगठनों से एबीसी नियम, 2023 को लागू करने के लिए नगर निगमों/स्थानीय निकायों द्वारा जारी निविदाओं में भाग लेने का आग्रह किया गया है।

भारत सरकार का स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, कुत्तों के काटने और रेबीज से संबंधित मानव स्वास्थ्य संबंधी पहलुओं को संभालता है। राष्ट्रीय रेबीज नियंत्रण कार्यक्रम (NRCP) के अंतर्गत, निम्नलिखित पहलें की गई हैं:

- कुत्तों द्वारा होने वाले रेबीज के उन्मूलन हेतु राष्ट्रीय कार्य योजना का शुभारंभ;
- राष्ट्रीय रेबीज नियंत्रण कार्यक्रम (NRCP) के अंतर्गत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को बजटीय सहायता;
- स्वास्थ्य सुविधाओं में एंटी-रेबीज वैक्सीन (ARV) और एंटी-रेबीज सीरम (ARS) की उपलब्धता सुनिश्चित करना;
- रेबीज उन्मूलन हेतु राज्य कार्य योजनाएँ तैयार करने हेतु कार्यशालाओं का आयोजन;
- राज्यों में आदर्श एंटी-रेबीज क्लीनिकों की स्थापना करना;
- रेबीज निदान प्रयोगशालाओं को सुदृढ़ बनाना;
- राज्यों को परामर्श और संसूचना जारी करना;
- "रेबीज-मुक्त शहर" पहल का शुभारंभ;
- एनआरसीपी के अंतर्गत राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय समितियों का गठन;
- दिशानिर्देश और संसाधन दस्तावेज़ तैयार करना;
- प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करना;
- कुत्तों के काटने और रेबीज पर सामुदायिक जागरूकता अभियान;
- विश्व रेबीज दिवस मनाना;
- एक समर्पित एनआरसीपी वेबसाइट का शुभारंभ;
- रेबीज हेल्पलाइन की स्थापना; और
- रेबीज निगरानी तंत्र को सुदृढ़ बनाना।

(ख) वर्ष 2001 के नियमों के अधिक्रमण में अधिसूचित किया गए पशु जन्म नियंत्रण नियम, 2023 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय और माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के निदेशों को शामिल किया गया है। एबीसी नियम, 2023 का नियम 20 सामुदायिक पशुओं के आहार (feeding) से संबंधित है, जिसमें पशु कल्याण समितियों के गठन सहित निवासी कल्याण संघों (RWA), अपार्टमेंट मालिक संघों (AOAs) या स्थानीय निकायों को जिम्मेदारी सौंपी गई है।

सामुदायिक पशुओं के आहार (feeding) से संबंधित शिकायतें प्राप्त होने पर, एडब्ल्यूबीआई संबंधित आरडब्ल्यूए, एओए या स्थानीय निकायों को उचित कार्रवाई के लिए पत्र लिखता है। वर्ष 2024-25 के दौरान जून 2025 तक, बोर्ड ने ऐसे 166 पत्र जारी किए हैं।

(ग) उच्च न्यायालय के दिशानिर्देशों का पालन न करने पर आरडब्ल्यूए को दंडित करने का कोई प्रावधान नहीं है।

(घ) पशुपालन और डेयरी विभाग प्रत्येक पांच वर्ष में पशुधन संगणना करता है जिसमें आवारा कुत्तों की गणना भी शामिल होती है। हालाँकि, एबीसी नियम, 2023 के अनुसार स्थानीय संख्या निर्धारित करने के लिए नगरपालिकाएँ प्रतिवर्ष अपनी संगणना कर सकती हैं।

(ड.) कुत्ते के काटने के रिपोर्ट किए गए कुल मामलों और संदिग्ध मानव रेबीज से हुई मौतों के आंकड़े राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र (NCDC) द्वारा राष्ट्रीय रेबीज नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से एकत्र किए जाते हैं। एनसीडीसी ने वर्ष 2024 की जानकारी प्रदान की है जिसे नीचे दी गई तालिका में दिया गया है:

वर्ष	2024
कुत्ते के काटने के कुल मामले	3717336
कुल संदिग्ध मानव रेबीज मौतें	54

(च) और (छ) विभाग आवारा कुत्तों सहित पशुओं के लिए एंटी-रेबीज टीकों की खरीद हेतु पशुधन स्वास्थ्य और रोग नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत पशु रोग नियंत्रण हेतु राज्यों को सहायता (ASCAD) घटक के अंतर्गत वित्तीय सहायता प्रदान करता है। पिछले पाँच वर्षों में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को अनुमोदित की गई निधियों का विवरण इस प्रकार है:

विगत पाँच वर्षों के दौरान एएससीएडी के तहत एंटी-रेबीज टीके की खरीद के लिए अनुमोदित निधियों का विवरण (लाख रु. में)			
वर्ष	खुराकों की संख्या (लाख में)	अनुमोदित कुल धनराशि (सीएस+एसएस)	अनुमोदित केन्द्रीय हिस्सेदारी
वित्तीय वर्ष 2020-21	25.56	275.28	213.35
वित्तीय वर्ष 2021-22	41.76	281.60	244.46
वित्तीय वर्ष 2022-23	18.44	475.00	338.19
वित्तीय वर्ष 2023-24	64.55	1080.57	716.85
वित्तीय वर्ष 2024-25	80.19	1423.41	956.92
<b>कुल</b>	230.5	3535.86	2469.77

\*\*\*\*\*